



2026:AHC:50468-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4488 वर्ष 2026

हरीश गुप्ता

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष श्रीवास्तव, ऋत्विक् श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए.

कोर्ट नंबर - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता की ओर से आज न्यायालय में एक पूरक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. सर्वप्रथम, राज्य की ओर से विद्वान एजीए ने यह बताया है कि प्रस्तुत मामले में, जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध 27.01.2026 को आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
4. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके किंतु उन्होंने यह निवेदन किया है कि वे इस रिट याचिका पर ज़ोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, ताकि वे उचित चरण पर उचित मंच के समक्ष जा सकें।
5. राज्य की ओर से विद्वान एजीए को उपर्युक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. उपरोक्त को देखते हुए, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

12 मार्च, 2026(वीकेजी)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।